pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए, अचल संपत्ति / यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001, फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : तृतीय तल, 16/104 ए, श्री सिद्धिविनायक बिल्डिंग, सिविल लाइन, कानपुर- 208001 (उत्तर प्रदेश)

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं), जिन्हें कॉलम संख्या-ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित हैं, जिनका रचनागत/भौतिक अधिग्रहण मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, ''जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेचा जाएगा।

एतद्वारा उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या-ए में निदर्शितानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम-8(6) व 9 के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.pnbhousing.com** में दिये गये लिंक को देखें।

ऋण सं. / उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं/न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
HOU/KNP/0319/663146 सुधा मिश्रा देवेंद्रनाथ मिश्रा बी.ओ.: कानपुर	रु. 20,15,806.57 08-04-21	भौतिक अधिग्रहण	प्लॉट नं.-डी-146, ईडब्ल्यूएस 1, ब्लॉक नं. डी, बर्रा, कानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001	रु. 14,34,000.00	रु. 1,43,400.00	29-01-25	रु. 10,000.00	20-01-2025, को 10 बजे - 5.30 बजे	30-01-2025, को 2 बजे - 3 बजे	अज्ञात

*आगे के ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभार इत्यादि के साथ। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या - के में प्रकटीकृत विषय-सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें।

(1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति का उपरोक्त स्तंभ सं. - 'के' में वर्णन किया गया है।

(2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्षकार, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं. -'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25% (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75:ए बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह की राशि को जमा करने में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्रय पुष्टिकरण पत्र में अंकित 15 दिवसों की अनिवार्य अवधि के समापन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर विक्रय आय राशि के आशिंक भुगतान को जब्त कर लेंगे तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय कर दिया जायेगा।

(4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44 गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, वह प्राधिकृत अधिकारी की, अपनी वेबसाइट www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी के माध्यम से, विक्रय का संचालन करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिये, आपको श्री मुकेश भाटिया, जो कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं, के साथ, टोल फ्री नं.- 1800 120 8800 एवं ई-मेल : auction@pnbhousing.com पर, समन्वयन कर संपर्क करना होगा अथवा www.pnbhousing.com का संदर्भ ग्रहण करना होगा।

स्थान : कानपुर दिनाँक : 14-01-2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM

गृहम हाउसिंग फाइनें सलिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी-बिल्डिंग, गंगा ट्रनो बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे -411014

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में 17 नवंबर 2023 से लिमिटेड को **ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** में बदल दिया गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी) के नाम से निगमित किया गया था) को इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत उपरोक्त कॉर्पोरेट/रजिस्टर कार्यालय के सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों ने नीचे दी गई तारीख का एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे दिए गए उधारकर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे उल्लिखित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सुरक्षित लेनदार की राशि और उस पर ब्याज के शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रं. सं.	उधारकर्ताओं का नाम	संपत्ति का विवरण	कब्जा लेने की तारीख	वैधानिक मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना में राशि (रुपये)
1.	संजय कुमार शुक्ला, अशोक कांत पांडे	वह सभी टुकड़ा और पार्सल प्लॉट, खसरा नंबर 109एस का हिस्सा, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट ग्राम-रायपुर, वार्ड- फैजुल्लागंज, तहसील और जिला-लखनऊ में स्थित है।" निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और प्लॉट की सीमाएं **पूर्व-** 21 फीट चौड़ी सड़क **पश्चिम-** विक्रेता का प्लॉट **उत्तर-** विक्रेता का मकान **दक्षिण-** विक्रेता का प्लॉट मापने का क्षेत्रः क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट।	09/01/2025	07/08/2024	**ऋण संख्या HF0043H21100335** **रू. 3057361/-** (रुपये तीस लाख सत्तावन हजार तीन सौ इकसठ मात्र) दिनांक 07/08/2024 को वसूली तक 14.5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय है।
2.	राकेश कुमार, बबली	खसरा संख्या 486 पर प्लॉट पर बने मकान का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, ग्राम-गौरभीत, परगना-लखनऊ, तहसील और जिला-लखनऊ में स्थित है। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। **सीमाएँ नीचे बताई गई हैं। पूर्वः-** 20 फीट चौड़ी सड़क **पश्चिमः-** दीगर का घर **उत्तरः-** प्लॉट **दक्षिणः-** दूसरों का घर।	09/01/2025	07/08/2024	**ऋण संख्या HF0043H21100896** **रू. 2978984/-** (रुपये उनतीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ चौरासी मात्र) दिनांक 07/08/2024 को देय, साथ में वसूली तक 14.75 प्रति वर्ष की दर से ब्याज।
3.	विक्रांत शर्मा, प्रेमलता शर्मा	खसरा संख्या 132 के भाग पर स्थित प्लॉट का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जो ग्राम-रायपुर, परगना, तहसील और जिला-लखनऊ में स्थित है। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और प्लॉट की सीमाएँ **पूर्वः-** विक्रेता का प्लॉट **पश्चिमः** विक्रेता का घर **उत्तरः** 20 फीट चौड़ी सड़क **दक्षिणः** विक्रेता का प्लॉट माप क्षेत्रः-1100 वर्ग फीट यानी 102.230 वर्ग मीटर।	09/01/2025	07/08/2024	**ऋण संख्या HF0043H21100403** **रू. 4281021/-** (रुपये बयालीस लाख ईकासी हजार इक्कीस मात्र) दिनांक 07/08/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 14.5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय।
4.	राजेश कुमार, गीता देवी	आराजी संख्या 488 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 46.97 वर्गमीटर, राजस्व ग्राम-चिल्लूपार, टप्पा कसाबा परगना चिल्लूपार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेखित और भूखंड की सीमाएँ **पूर्व-** केतकी देवी की भूमि। **पश्चिम-** ममता देवी की भूमि। **उत्तर-** सड़क 09 फीट चौड़ी। **दक्षिण-** जियुत की भूमि।	10/01/2025	08/10/2024	**ऋण संख्या HF0648H21100004** **रू. 1637853/-** (रुपये लाख सैंतीस हजार आठ सौ तिरपन मात्र) 08/10/2024 तक देय, वसूली तक 17 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।

स्थानः उत्तर प्रदेश। दिनांकः 14.01.2025 **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)**

जना स्माल फाइनेंस बैंक

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजिनेस पार्क से आगे, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071 क्षेत्रीय शाखा कार्यालय : 16/12, 2सरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-11000

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार होने के नाते कॉलम 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना निर्गत की थी, किन्तु उनमें से कुछ के पास विभिन्न कारणों से सूचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तिथि एवं माँग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु. में
1	1) मेसर्स जीआर कंस्ट्रक्शन्स इसके श्री गौरव गुप्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री गौरव गुप्ता (कर्जदार) 3) श्रीमती नेहा गुप्ता (जमानती) 4) श्री नरेश कुमार गुप्ता (जमानती)	ऋण खाता संख्या. 45128640003790 & 45128640003824 ऋण राशि रू. 90,40,000/- रू. 10,00,00/-	**वित्तीय आस्तियों का विवरणः** भाग-'ए': बंधक चल संपत्तिः कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मेसर्स जी आर कंस्ट्रक्शन, आरजेड-745, ग्राउंड फ्लोर, साध नगर, गली नंबर 18-डी, पालम कॉलोनी, कमल भारती स्कूल के पास, नई दिल्ली-110045 के लेखा पुस्तकों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और प्राप्य और बही ऋणों पर पहला भार। **भाग-'बी': बंधक अचल संपत्ति** - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरणः निर्मित संपत्ति संख्या 63, नया नंबर आरजेड-63, क्षेत्रफल माप 160 वर्ग गज, खसरा नंबर 26/9 और 10 में से, डाबरी गांव की राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी जिसे डाबरी एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, ए-ब्लॉक, नई दिल्ली। श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः अन्य की संपत्ति, उत्तरः सड़क 20 फीट, दक्षिणः सड़क 10 फीट।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 99,99,376/- (रुपए निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) 07.01.2025 तक
2	1) मेसर्स रतन लाल डायमंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड इसके निदेशक श्री रतन लाल सहगल द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री रतन लाल सहगल (आवेदक), 3) श्री अमित सहगल (सह-आवेदक), 4) श्रीमती राकेश रानी सहगल (जमानती), 5) श्रीमती दीक्षा सहगल (जमानती)	ऋण खाता संख्या. 45128640003965 ऋण राशि रू. 3,01,60,000/-	**वित्तीय आस्तियों का विवरणः** भाग-'ए': बंधक चल संपत्तिः कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मेसर्स रतन लाल डायमंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड की खाता बही एवं प्राप्य और बही ऋणों में सभी कच्चे माल और स्टॉक पर पहला भार। दुकान संख्या 87, एडवर्ड लाइन, किंग्स वे कैंप, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110009 भाग-'बी': बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरणः पूरी दुकान वाणिज्यिक भूखंड संख्या 85 पर बनी है, (नीचे से ऊपर तक इसकी छत/छत के अधिकार आसमान तक हैं), भूमि क्षेत्र माप 23.8 वर्ग गज या 19.8992 वर्ग मीटर, एडवर्ड लाइन्स किंग्सवे कैंप में स्थित, दिल्ली-110009, नीचे फ्रीहोल्ड भूमि में संपूर्ण शेयर/अधिकार, स्वामित्व श्री रतन लाल सहगल पुत्र श्री टोपन दास और श्री अमित सहगल पुत्र श्री रतन लाल सहगल।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 2,99,34,692/- (रुपए दो करोड़ निन्यानबे लाख चौंतीस हजार छह सौ बानवे मात्र) 07.01.2025 तक
3	1) मेसर्स एसएस सोलर एनर्जी, भागीदार श्री रवि प्रकाश दीक्षित और श्री शिवम कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री रवि प्रकाश दीक्षित (कर्जदार), 3) श्री शिवम कुमार श्रीवास्तव (जमानती), 4) श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव (जमानती)	ऋण खाता संख्या. 45138640001796 ऋण राशि रू. 11,59,625/-	**वित्तीय आस्तियों का विवरणः** भाग-'ए': बंधक चल संपत्तिः कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मेसर्स एसएस सोलर एनर्जी, ग्राउंड फ्लोर बी-87, सेक्टर-60, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 के सभी कच्चे माल और लेखा बही में स्टॉक तथा प्राप्य एवं बही ऋणों पर पहला भार। **भाग-'बी': बंधक अचल संपत्ति** - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरणः आवासीय फ्लैट संख्या मोल-07/12 (द्वितीय तल) विज्ञापन माप 70.94 वर्ग मीटर, शिप्रा सनसिटी-कक्ष इंदिरापुरम, गाजियाबाद तहसील और जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित। श्री रवि प्रकाश दीक्षित पुत्र श्री राम लखन के स्वामित्व में । सीमाः पूर्वः फ्लैट नंबर मोल- 7/10, पश्चिमः सड़क 7.5 मीटर चौड़ी, उत्तरः फ्लैट नंबर मोल-7/11, दक्षिणः ग्रीन स्पेस।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 9,69,190/- (रुपए नौ लाख उनहत्तर हजार एक सौ नब्बे मात्र) 07.01.2025 तक
4	1) श्री अंकुर चौहान (आवेदक) 2) श्रीमती शीतल (सह-आवेदक)	ऋण खाता संख्या. 45269610000208 ऋण राशि रू. 25,00,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः** अनुसूचित संपत्तिः ऊपरी भूतल, 3 बीएचके, फ्लैट नंबर बी-1, कवर्ड एरिया माप 750 वर्ग फीट, कुल क्षेत्रफल माप 160 वर्ग गज, ओम शांति अपार्टमेंट में स्थित, संपत्ति आईडी नंबर 3puobr89, वाका मौजा न्यू कॉलोनी पलवल, तहसील और जिला पलवल। स्वामित्व श्रीमती शीतल पत्नी श्री अंकुर चौहान।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 25,60,850/- (रुपए पच्चीस लाख साठ हजार आठ सौ पचास मात्र) 07.01.2025 तक
5	1) श्री अहसान कुरैशी (आवेदक) 2) श्रीमती सम्मा बेगम (सह-आवेदक) 3) श्री ओनू (जमानती)	ऋण खाता संख्या. 30809630000029 ऋण राशि रू. 30,50,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूचित संपत्तिः** 1 किता आवासीय मकान संख्या 1774/139, नया नगर निगम नंबर 91 का ½, प्रवेश माप 94 वर्ग गज यानी 78.59 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 70 वर्ग गज, छोटा कैला, परगना-लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबाद में स्थित। श्री अहसान कुरैशी पुत्र श्री नासिर कुरैशी के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः नानकी वाल्मीकि का घर, पश्चिमः 8 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः श्याम लाल का घर, दक्षिणः श्रीमती कलावती का घर।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 30,19,773/- (रुपए तीस लाख उन्नीस हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) 07.01.2025 तक
6	1) श्री दीपक कुमार (आवेदक) 2) श्रीमती डिम्पल (सह-आवेदक)	ऋण खाता संख्या. 32059430001070 ऋण राशि रू. 42,90,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूची संपत्तिः** अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग विशिष्ट आईडी संख्या 3445x61 (पुराना नंबर 1778-ए), वार्ड नंबर 6 में स्थित, माप 208.93 वर्ग गज, महम, तहसील-महम, जिला-रोहतक, स्वामित्व श्री दीपक कुमार पुत्र श्री वजीर सिंह। सीमाः पूर्वः 49 फीट 5 इंच, संपत्ति अनिल फरमाणा+30 फीट 3 इंच, दुकान मालिक, पश्चिमः 38 फीट 1 इंच+39 फीट 9 इंच शेष संपत्ति, उत्तरः 17 फीट 6 इंच, गली सारे आम+16 फीट 3 इंच दुकान मालिक, दक्षिणः 27 फीट 11 इंच, हरि राम की संपत्ति	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू.43,83,045/- (रुपए तैंतालीस लाख तिरासी हजार पैंतालीस मात्र) 07.01.2025 तक
7	1) श्री हरीश चंद (आवेदक), 2) श्रीमती मीना (सह-आवेदक), 3) श्रीमती प्रियंका केजरोटी (जमानती), 4) श्री करण केजरोटी (जमानती)	ऋण खाता संख्या. 47939610000651 47939410000173 & 47939610000826 ऋण राशि रू. 5,80,000/- रू. 4,00,000/- रू. 2,20,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूची संपत्तिः** ऊपरी भूतल, (एल-प्रकार), निर्मित संपत्ति संख्या 95 (नया नंबर 95-बी) के बिना छत/छत के अधिकार, माप 24 वर्ग गज, यानी 20.08 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 345 से बाहर, गांव बिंदापुर, दिल्ली राज्य दिल्ली क्षेत्र की राजस्व संपदा में स्थित, जिसे कॉलोनी उत्तम नगर के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-यू, नई दिल्ली-110059। श्रीमती मीना पत्नी श्री हरीश चंद के स्वामित्व में।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 10,79,335/- (रुपए दस लाख उन्यासी हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) 07.01.2025 तक
8	1) श्री मुकेश (आवेदक) 2) श्रीमती प्रभा (सह-आवेदक) 3) श्री गौरव ठाकुर (सह-आवेदक)	ऋण खाता संख्या. 30419610000411 & 30419800000014 ऋण राशिः रू. 16,90,000/- रू. 84,534/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूची संपत्तिः** अचल संपत्ति का पूरा हिस्साः प्लॉट एरिया विज्ञापन-माप 67 वर्ग गज खेवट/खाता नंबर 469/414, खतौनी नंबर 563, मु नंबर 36, किला नंबर 5(8-0) से वाका मौजा बसेलावा में स्थित, तहसील और जिला- फरीदाबाद श्रीमती प्रभा पत्नी श्री मुकेश के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः धुरा का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता 8 फीट, उत्तरः ब्रज मोहन का प्लॉट, दक्षिणः अन्य की आराजी।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 16,78,586/- (रुपए सोलह लाख अठहत्तर हजार पांच सौ छियासी मात्र) 07.01.2025 तक
9	1) श्री नवाब (आवेदक) 2) श्रीमती रिहाना (सह-आवेदक)	ऋण खाता संख्या. 30680430000162 ऋण राशि रू. 5,00,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूची संपत्तिः** अचल संपत्ति का पूरा हिस्साः 1 किता खाली आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल माप 130 वर्ग गज, यानी 108.69 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 695, गांव लोनी (चकबंदी क्षेत्र) में स्थित, परगना और तहसील-लोनी, जिला-गाजियाबाद, श्री नवाब पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः रास्ता 25 फीट चौड़ा, पश्चिमः दूसरे का प्लॉट, उत्तरः दूसरे का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 15 फीट चौड़ा।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 5,26,160/- (रुपए पांच लाख छब्बीस हजार एक सौ साठ मात्र) 07.01.2025 तक
10	1) श्री संदीप कुमार भारद्वाज (आवेदक) 2) श्रीमती भावना (सह-आवेदक)	ऋण खाता संख्या. 32059630000401 ऋण राशि रू. 7,00,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूची संपत्तिः** 1/3 भाग न्यूनतम मध्य रकबा बकदर मकान का 33.33 वर्ग गज, माप 100 वर्ग गज, मिन जुमला खसरा संख्या 14758/10444/8814/6819 में स्थित, मौजा रोहतक, दुर्गा वाला खेत, जिंद रोड बाईपास के पास, नगर निगम, रोहतक, स्वामित्व श्री संदीप कुमार पुत्र श्री टेक राम। सीमाएँ: पूर्वः 35 फीट 0 इंच, संपत्ति का शेष भाग मजकूर मिल्कियात श्री प्रमोद कुमार, पश्चिमः 35 फीट 0 इंच, संपत्ति का शेष भाग मजकूर मिल्कियात श्री प्रथम, उत्तरः 8 फीट 7 इंच, रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिणः अज्ञात	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 08.01.2025	रू. 7,03,130/- (रुपए सात लाख तीन हजार एक सौ तीस मात्र) 07.01.2025 तक
11	1) श्रीमती सीमा (आवेदक) 2) सुश्री दामिनी (सह-आवेदक) 3) श्री इंद्रजीत शर्मा (सह-आवेदक)	ऋण खाता संख्या. 47939630000210 ऋण राशि रू. 3,50,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः अनुसूची संपत्तिः** अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, पूरी बिल्टअप संपत्ति संख्या 96-एच, वार्ड संख्या 2, माप 44 वर्ग गज, खसरा संख्या 1151/3 मिन का हिस्सा, गांव और तहसील महरौली, नई दिल्ली-110030 के लाल डोरा आबादी में स्थित। स्वामित्व श्रीमती सीमा पत्नी राम पाल।	एनपीए की तिथि: 01.01.2025 माँग सूचना की तिथि: 10.01.2025	रू. 3,84,671/- (रुपए तीन लाख चौरासी हजार छह सौ इकहत्तर मात्र) 08-01-2025 तक

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 **दिनों** के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलम नं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंशियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह रहित है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निस्तारित करने या संव्यवहार करने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।

तिथि : 14.01.2025 स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे. **ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः 8वीं मंजिल, प्लेट-बी, ब्लॉक-2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023, दूरभाषः 011-69297100, वेबसाइटः www.idbibank.in

कब्जे का नोटिस [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 (2002 का संख्याक 54) के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 20.05.2024** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी श्री अनिल कुमार को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि रु. 43,73,753/- (रुपये तैंतालीस लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिरपन मात्र) 09.12.2021 तक अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था ।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 10 जनवरी 2025** को ले लिया है।

उधारकर्ता को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को रु. 43,73,753/- (रुपये तैंतालीस लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिरपन मात्र) 09.12.2021 तक** अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ, के अधीन होगा ।

सुरक्षित सम्पत्ति के मोचन में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें मकान संख्या 200, द्वितीय तल, शक्ति खंड-III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201010 में द्वितीय तल पर स्थित फ्लैट तथा छत के अधिकार शामिल हैं। वर्तमान और भविष्य में होने वाले एकल संरचना और तत्कालीन निमाण सहित।

कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है।

उत्तर: प्लॉट नं. 199, **दक्षिण**: प्लॉट नं. 201, **पूर्व**: रोड नीचे, **पश्चिम**: प्लॉट नं. 176

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14.01.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः 8वीं मंजिल, प्लेट-बी, ब्लॉक-2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023, दूरभाषः 011-69297100, वेबसाइटः www.idbibank.in

कब्जे का नोटिस [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 (2002 का संख्याक 54) के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 02.11.2024** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी श्रीमती गीतू सम्मी और श्रीमती सुमन सम्मी को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि रु. 52,90,710/- (रूपये बावन लाख नब्बे हजार सात सौ दस रूपये मात्र) 08.09.2024 तक अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था ।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 7 जनवरी 2025** को ले लिया है।

उधारकर्ता को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को रु. 52,90,710/- (रूपये बावन लाख नब्बे हजार सात सौ दस रूपये मात्र)** 08.09.2024 तक अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ, के अधीन होगा ।

सुरक्षित सम्पत्ति के मोचन में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त भाग और खंड, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, जिसमें संपत्ति **ई-16, भूमिगत तल, द्वितीय तल, तृतीय तल (छत अधिकार सहित), ब्लॉक ई, बिंदापुर, पूर्वी उत्तम नगर, पाली फैक्ट्री के पास, नई दिल्ली, 110059** शामिल है।

वर्तमान और भविष्य में होने वाले एकल संरचना और तत्कालीन निमाण।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.01.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

फॉर्म संख्या 14
[विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी , दस्ती द्वारा ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा।

कार्यालय-वसूली अधिकारी- 1/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी3)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग नोटिस
ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस।

आरसी /14/2024 17-12-2024

एसेट केयर रीकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
बनाम
अनिल कुमार साहा एवं अन्य

सेवा में ,

(सीडी 1) ग्रीन स्पेस एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (डी6) पंजीकृत कार्यालय 208, लिविंग स्टाइल मॉल जसोला, दिल्ली-110025

(सीडी 2) कूल इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड (डी8), पंजीकृत कार्यालय एन101/बी मुंशीलाल बिल्डिंग कॉनॉट प्लेस दिल्ली-110001

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी3) द्वारा टीए/426/2022 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार राशि **रु.2004102941 (दो लाख इकतालीस लाख दो हजार नौ सौ इकतालीस मात्र)** की राशि के साथ प्राभावी तिथि 28.10.2022 से वसूली तक पेंडेंटलाइट और भविष्य ब्याज/18.75% साधारण ब्याज वार्षिक और **रु.150005 (एक लाख पचास हजार पांच रुपये मात्र)** की लागत आपके खिलाफ (संयुक्त रूप से और अलग-अलगध्पूरी तरह सेध्सीमित) देय हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

(4) आपको एतद्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 27.01.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः

(क) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।

(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत,दिया गया आदेश : 17.12.2024

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी3)

प्रतिलिपिः-

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्र देनदार(ओं) द्वारा किया गया भुगतान, यदि कोई हो, प्रमाण पत्र देनदार(ओं) से इस मामले में देय सभी ऋणों के समेकित खाते में जमा किया जाए और वसूली अधिकारी को नियमित रूप से भुगतान की स्थिति से अवगत कराया जाए।

इस प्रकार बनाए गए समेकित खाते को वसूली अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आपको उपरोक्त मामले के संबंध में कुल दावे का अद्यतन विवरण और संपत्ति के विवरण का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है, जहां से ऋण की वसूली की जानी है।

जना स्माल फाइनेंस बैंक

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजिनेस पार्क से आगे, चल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071 क्षेत्रीय **शाखा कार्यालय** : 16/12, 2सरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** से अपनी अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** ने कॉलम 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथिः से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना निर्गत की थी, किन्तु उनमें से कुछ के पास विभिन्न कारणों से सूचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तिथि एवं मांग सूचना की तिथिः	तिथि तक बकाया राशि रु. में
1.	1) श्री जसविंदर सिंह (आवेदक), 2) श्रीमती सिमरनजीत सिंह (सह-आवेदक), 3) श्रीमती गुरविंदर कौर (सह-आवेदक)	**ऋण खाता सं.** 47919630000522 **ऋण राशि रु.** 13,75,000/-	**बंधक अचल संपत्तिः** अनुसूची संपत्तिः अचल संपत्ति संख्या 112/605 भाग बकदर 3.7 मरला/112 वर्ग गज, खेवट संख्या 1105, खतौनी संख्या 1351, खसरा संख्या 40//1/3, स्थित के सभी भाग वाका मौजा सरस्वती नगर में, हदबस्त नं.444, उप-तहसील-सरस्वती नगर, तहसील-जगाधरी, जिला-यमुनानगर, स्वामित्व श्री सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री जसविंदर सिंह द्वारा। **सीमाएँ: पूर्वः** भुजा 30 फीट और प्लॉट कवलजीत सिंह, **पश्चिमः** भुजा 30 फीट और आटा चक्की, **उत्तरः** भुजा 30 फीट और रामपाल की दुकान और घर, **दक्षिणः** भुजा 30 फीट और गली.	**एनपीए की तिथिः** 01.01.2025 **मांग सूचना की तिथिः** 08.01.2025	07.01.2025 तक रु. 14,14,938/- (चौदह लाख चौदह हजार नौ सौ अड़तीस रुपये मात्र)

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलम नं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंशियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह रहित है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निस्तारित करने या संव्यवहार करने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।

तिथि : 14.01.2025 स्थान : यमुनानगर **ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

SBI

एसबीआई आरएसीपीसी गाजियाबाद शाखा
105, न्यू आर्या नगर, गाजियाबाद, यू.पी-201003

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नांकित **कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था,** जिसमें सूचना मे उल्लेखित **बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे विफल रहे है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति(यों) के साथ लेन-देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पति(यों) के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक,** द्वारा **निम्नलिखित राशि और साथ में उस पर अप्रयोजित ब्याज और भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर साथ में आकस्मिक व्यय एवं प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाता/कर्जदार का नाम एवं पता	सम्पत्ति मालिक का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
स्वर्गीय श्रीमती देवेन्द्र कौर पत्नी स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह और स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री नरेंद्र सिंह, आर-7/ई45, ब्लॉक-7, सेक्टर-7, राजनगर, गाजियाबाद यूपी-201001	**स्वर्गीय श्रीमती देवेंद्र कौर और स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह**	**सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति फ्लैट सं. आर-7/ई45, ब्लॉक-7, सेक्टर-7, राजनगर, गाजियाबाद यूपी-201001 क्षेत्रफलः 119.37 वर्ग मी. (विलेख के अनुसार)**	**09.10.2024** **10.01.2025**	रु. **37,26,058/-** प्लस ब्याज और अन्य आकिस्मक खर्च इत्यादि

दिनांक : 13-01-2025, स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कॅरियर पॉइंट लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालयः ग्राम टंगोरी, बानूर, मोहाली, पंजाब- 140601। **कॉर्पोरेट कार्यालयः** सी.पी. टावर - 1, रोड नंबर 1,आईपीआईए, कोटा-324005 (राजस्थान)
सीआईएनः **L64990PB2000PLC054497** फोनः **0744-6630500** वेबसाइटः **www.cpil.in** ई-मेलः **investors@cpil.in**

पोस्टल बैलेट/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कंपनियों के नियम 22 के अनुसार (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014}

करियर पॉइंट लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और धारा 110 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 विनियम 44 के साथ पढ़ा जाता है ("सूचीकरण विनियम") और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी किए गए लागू दिशानिर्देशों / परिपत्रों के अनुसार, कंपनी पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्य (केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से) कंपनी का नाम "कैरियर प्वाइंट लिमिटेड" से बदलकर "सीपी कैपिटल लिमिटेड" करने और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ("एमओए") और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("एओए") में परिवर्तन के लिए अनुमोदन मांग रही है।

विभिन्न एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों को सोमवार, 13 जनवरी, 2025 को पोस्टल बैलट की सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण ई-मेल द्वारा भेजा गया है। पोस्टल बैलेट नोटिस उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को शामिल हैं। उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, सदस्यों की सहमति और असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस लिफाफा नहीं भेजा जाएगा। कंपनी के जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत कर लें, साथ ही हस्ताक्षर किए गए अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कॉपी के साथ ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लाइंट मास्टर कॉपी भौतिक फोलियो के मामले में इलेक्ट्रॉनिक फोलियो की प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की प्रति ईमेल आईडी Invest@cpil-in पर प्रदान करें।

नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.cpil.in पर भी उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और आरटीए अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.ankitonline.com से डाउनलोड किया जा सकता है। एक व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, को इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं, ताकि वे नोटिस में निर्धारित विशेष प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम हो सकें। ई-वोटिंग के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है

- ■ रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयरू मंगलवार, 14 जनवरी, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)।
- ■ रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयरू बुधवार, 12 फरवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय)।

इसके बाद उक्त सुविधा एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी।

केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तारीख को डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। सदस्यों द्वारा एक बार वोट दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अमित गुप्ता, एडवोकेट को पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट का परिणाम अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 14 फरवरी, 2025 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम कंपनी की वेबसाइट, आरटीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे। कंपनी द्वारा ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि अर्थात 12 फरवरी, 2025 वह तिथि होगी जिस दिन विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित होने पर संकल्प पारित हुआ माना जाएगा।

स्थान : कोटा
दिनांक : 14 जनवरी 2025

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
करियर पॉइंट लिमिटेड
एसडी
सी. एस. मनमोहन पारीक
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्य क्रमांकः A34858